



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 152-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018 (BHADRA 19, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 10th September, 2018

**No. 37-HLA of 2018/66/19661.**— The Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 37 HLA of 2018**

### THE HARYANA PROHIBITION OF CHANGE OF PUBLIC UTILITIES BILL, 2018

#### A BILL

*to prohibit disturbing or changing of public utility and claiming such land to the exclusion of public rights and use in the State of Haryana and for matter connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Act, 2018. Short title and Commencement.
- (2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
  - (a) "Collector" means the Collector of a revenue district and includes the Deputy Commissioner or any other officer specially designated by the State Government to perform the functions of a Collector under this Act;
  - (b) "Commissioner" means the Divisional Commissioner of a revenue division and includes any other officer specially designated by the State Government to perform the functions of a Commissioner under this Act;
  - (c) "Financial Commissioner" means an officer appointed by the State Government and includes any other officer specially designated by the State Government to perform the functions of a Financial Commissioner under this Act;

- (d) “public utility” includes roads, path, canals, drains, embankment, any structure, water/irrigation channels, Public Health Works, public institutions, building and any other facility which is used or has been used by the public or for the public benefit, whether on payment of charges or otherwise by the State Government, which exists on any land of any individual, company, society, partnership firm, trust etc;
- (e) “State Government” means the Government of the State of Haryana.
- 3.** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, instrument, custom, usage, judgment, decree or order of any court or other authority, no individual, company, society, partnership firm, trust etc. shall be entitled to disturb, change or demolish any public utility over any land of any private person, individual, company, society, partnership firm, trust etc. to the detriment of the public interest or use, which are or were in public use or in existence for the benefit of public, nor any such person, individual, company, society, partnership firm, trust etc. shall claim such public utility to the exclusion of the rights and benefit of the public.
- (2) If any person disturbs, changes, demolishes or obstructs any public utility then the Collector either suo moto or on receiving information on such interference in the public utility may direct the restoration of such public utility to its original condition after providing an opportunity of being heard and may recover the cost incurred in respect of such restoration as arrears of land revenue from such person.
- (3) Any person aggrieved by the order passed by the Collector under sub-section (2), may file an appeal before the Commissioner within thirty days of the date of the order.
- (4) Any person aggrieved by an order of the Commissioner under sub-section (3), may file a revision petition before the Financial Commissioner within thirty days from the date of order. The order of the Financial Commissioner shall be final.
- 4.** Whoever violates the provisions of section 3, shall be punishable with the imprisonment for a term upto six months or with a fine which shall not be less than two thousand rupees and more than ten thousand rupees or both.
- 5.** No person shall be entitled to claim any damages or compensation in lieu of prohibition or restrictions contained in this Act.
- 6.** The Collector shall cause to enter or prepare record of such public utility and public rights by giving note of such public utility in the record of rights in appropriate column of such record.
- 7.** No civil court shall have the jurisdiction to entertain any suit relating to matters falling under this Act or the rules made thereunder.
- 8.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.
- (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.
- 9.** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any Member, officer or employee of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.
- 10.** The State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- Prohibition of disturbing or changing public utility.
- Punishment for disturbing, changing public utility.
- No claim for damages or compensation.
- Preparation of record of rights.
- Bar of jurisdiction.
- Power to remove difficulties.
- Protection of action taken in good faith.
- Power to make rules.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Over a period of time, public utilities in the form of roads, path, canals, drains, embankment, any structure, water/irrigation channels, Public Health works, public institutions, buildings etc. have come up on the lands belonging to individuals/entities. This was due to generosity of the individuals in the form of oral agreement or oral gifts etc. for enhancing the potential and value of the land, as also creating a potential of its use. Ultimately, this has benefitted the individuals in particular and the public at large, besides ensuring harmonious development of the State in general. Even individuals had themselves allowed the public use of land without any objection for a long period and they have acquiesced in the use of land as public utility land and further, they by their act and conduct allowed such land to become public utility land involving the rights and interest of the public in general. In such circumstances, keeping in view the public interest, the Government or concerned authorities, have spent public money to maintain and develop such public utilities for the benefit of the public as well as such persons or individuals who allowed the use of their land as public utility. However, with the passage of time and enhancement in the value of lands, individuals/entities have started either disturbing such public utility by seeking the restoration of the land or by claiming their rights in the land to the exclusion of aforesaid public rights of public utility or the detriment of the public interest. Even some of such public utilities are existing before Reorganization Act and there are practical problems to trace the origin of public utility. The State Government due to all this, is facing enormous difficulties in terms of disruption of road connectivity, water supply and various other administrative problems and such disruptions and disturbance of public utility involve huge financial loss of public money as well as various difficulties to the public in general. Therefore, in public interest, it is necessary to bring law in this regard.

CAPTAIN ABHIMANYU,  
Revenue & Disaster Management Minister, Haryana.

Chandigarh:  
The 10th September, 2018.

R. K. NANDAL,  
Secretary.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Under Section 10 of the bill the power has been delegated to the Government to make rules under this Act. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rules 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business of the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

---

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या – 37 एच.एल.ए.

हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2018

हरियाणा राज्य में लोकोपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन

करने के लिए तथा लोकाधिकार तथा उपयोग के

अपवर्जन हेतु ऐसी भूमि तथा उससे संबंधित

और आनुषंगिक मामले के लिए

दावे का प्रतिषेध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध अधिनियम, 2018, संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।  
कहा जा सकता है।
- (2) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
  - (क) "कलक्टर" से अभिप्राय है, राजस्व जिले का कलक्टर तथा इसमें शामिल है, उपायुक्त अथवा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी ;
  - (ख) "आयुक्त" से अभिप्राय है, राजस्व मण्डल का मण्डल आयुक्त तथा इसमें शामिल है, इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के कृत्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी;
  - (ग) "वित्तायुक्त" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी तथा इसमें शामिल है, इस अधिनियम के अधीन वित्तायुक्त के कृत्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी;
  - (घ) "लोकोपयोगिता" में शामिल हैं, सड़कें, रास्ता, नहरें, नालियां, तटबंध, कोई संरचना, जल/ सिंचाई प्रणालियां, जन स्वास्थ्य संकर्म, लोक संस्थाएं, भवन तथा कोई अन्य सुविधा जो चाहे राज्य सरकार द्वारा प्रभारों के भुगतान पर या अन्यथा जनता द्वारा या जनता के लाभ के लिए उपयोग की जाती है या की गई है, जो किसी वैयक्तिक, कंपनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, ट्रस्ट इत्यादि की किसी भूमि पर अस्तित्व में हों;
  - (ङ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।
3. (1) किसी विधि, दस्तावेज, प्रथा, रिवाज या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के न्यायनिर्णय, डिक्री अथवा आदेश, में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई भी वैयक्तिक, कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, ट्रस्ट इत्यादि लोकहित या उपयोग, जो जनता के लाभ के लिए लोकोपयोग में या अस्तित्व में हैं या थे, के अहित के लिए किसी निजी व्यक्ति, वैयक्तिक, कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, ट्रस्ट इत्यादि की किसी भूमि पर किसी लोकोपयोगिता में विघ्न डालने, परिवर्तन करने या को नष्ट करने के लिए हकदार नहीं होगा, न ही कोई ऐसा व्यक्ति, वैयक्तिक, कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, ट्रस्ट इत्यादि के लोकोधिकार तथा लाभ के अपवर्जन हेतु ऐसी लोकोपयोगिता का दावा नहीं करेगा। लोकोपयोगिता में विघ्न डालने अथवा परिवर्तन का प्रतिषेध।
- (2) यदि कोई व्यक्ति किसी लोकोपयोगिता में विघ्न डालता है, परिवर्तन करता है, नष्ट करता है या बाधा डालता है, तो कलक्टर या तो स्वयं प्रेरणा से या लोकोपयोगिता में ऐसी दखलांदाजी पर प्राप्त सूचना पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उसे मूल स्थिति में ऐसी लोकोपयोगिता के पुनरुद्धार के लिए निदेश दे सकता है तथा ऐसे व्यक्ति से ऐसे पुनरुद्धार के संबंध में उपगत लागत की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में कर सकता है।

(3) उप-धारा (2) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर आयुक्त के सम्मुख अपील दायर कर सकता है।

(4) उप-धारा (3) के अधीन आयुक्त के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर वित्तायुक्त के सम्मुख पुनरीक्षण अर्जी दायर कर सकता है। वित्तायुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

लोकोपयोगिता में विघ्न डालने, परिवर्तन करने के लिए दण्ड।

4. जो कोई भी धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, छह मास तक की अवधि के लिए कारावास सहित अथवा जुर्माने सहित, जो दो हजार रुपये से कम तथा दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

क्षतियों या प्रतिकर के लिए दावा न होना।

5. कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम में दिए गए प्रतिषेध अथवा निर्बन्धनों के बदले में किन्हीं क्षतियों या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

अधिकारों के अभिलेख तैयार करना।

6. कलक्टर, अभिलेख के समुचित खाने में अधिकार अभिलेख में ऐसी लोकोपयोगिता के टिप्पण देते हुए ऐसी लोकोपयोगिता तथा लोकोधिकारों को दर्ज करेगा या अभिलेख तैयार करेगा।

अधिकारिता का वर्जन।

7. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन आने वाले मामलों से सम्बन्धित किसी वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

कठिनाइयां दूर करने की शास्ति।

8. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के यथाशीघ्र बाद, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

9. आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

10. राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

### उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

कुछ समय से सड़कें, रास्ते, नहरें, नालियां, तटबंध, किसी भी संरचना, जल/सिंचाई चैनल, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, सार्वजनिक संस्थानों की, इमारतें आदि सार्वजनिक उपयोगिताएं व्यक्तियों /संस्थाओं की भूमि पर स्थापित हो गई हैं। ऐसा व्यक्तियों की उदारता, जो मौखिक समझौते या उपहार के रूप में जिससे उनकी भूमि की कीमत एवं क्षमता को बढ़ाने के लिए थी, के कारण हुआ था। आखिरकार इससे व्यक्तियों को विशेष रूप से तथा जनता को आमतौर पर लाभ हुआ है, इसके अतिरिक्त इससे आम तौर पर राज्य के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने में लाभ हुआ है। यहां तक कि व्यक्तियों ने स्वयं को लम्बी अवधि के लिए किसी भी आपत्ति के बिना जमीन के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दी और उन्होंने जमीन के उपयोग में सार्वजनिक उपयोगिता को अधिग्रहण कर लिया है और आगे उनके कार्य और आचरण से इस तरह की भूमि सार्वजनिक भूमि बनने की अनुमति देती है जो आमतौर पर जनता के हित में एसी परिस्थितियों में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार या सम्बंधित अधिकारियों ने जनता के लाभ के लिए ऐसी सार्वजनिक उपयोगिताओं को बनाए रखने और विकसित करने के लिए सार्वजनिक धन खर्च किया है जिसे ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसी भूमि पर उसका उपयोग करने की अनुमति दी है। समय के साथ भूमि के मूल्य व क्षमता में वृद्धि होने के साथ व्यक्तियों की संस्थाओं ने भूमि की बहाली की मांग करके या सार्वजनिक उपयोगिता के उपरोक्त सार्वजनिक अधिकारों को छोड़ने के लिए भूमि में अपने अधिकारों का दावा करके ऐसी सार्वजनिक उपयोगिता को अस्त-व्यस्त या हितों का नुकसान करना भुरु कर दिया है। यहां तक कि ऐसी कुछ सार्वजनिक उपयोगिताएं पुर्नगठन अधिनियम के बनने से पहले ही मौजूद हैं और ऐसी सार्वजनिक उपयोगिता की आपत्ति का पता लगाने में काफी व्यवहारिक समस्याएं हैं। राज्य सरकार को इन सभी कारणों से सड़क कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति और विभिन्न अन्य प्रशासनिक समस्याओं में व्यवधान और सार्वजनिक उपयोगिता में परेशानी और भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे सार्वजनिक धन के नुकसान के साथ-साथ सामान्य रूप से आम जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना भी शामिल है। इसलिए सार्वजनिक हित में इस सम्बंध में कानून लाना आवश्यक है।

कैप्टन अभिमन्यु,  
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मन्त्री, हरियाणा ।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 10 सितम्बर, 2018.

आर० के० नांदल,  
सचिव ।

**विधान के हस्तांतरण के सम्बंध में ज्ञापन**

इस अधिनियम की धारा 10 के तहत नियम बनाने के लिए सरकार को अधिकार सौंपा गया है। इसलिए हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया व संचालन के नियम 126 के रूप में ज्ञापन संलग्न है।

-----